

2018/00318

**रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.**

महोदयजी,

मिफेद है, कि ग्राम कोटा जमाबन्दी सन्वत् 2073-76 के  
पत्रा सं 45 में बैंक रदन - स्टेट बैंक ऑफ़ वीकनेट एण्ड जयपुर शाखा  
रावतभारा दर्ज है। बैंक ~~रदन~~ शाखा का नाम स्टेट बैंक ऑफ़ वीकनेट  
एण्ड जयपुर शाखा रावतभारा के लिये भारतीय स्टेट बैंक शाखा  
रावतभारा हो गई है। अतः बैंक रदन पत्रा सं 45 ग्राम कोटा में  
स्टेट बैंक ऑफ़ वीकनेट एण्ड जयपुर के लिये भारतीय स्टेट बैंक शाखा  
रावतभारा किया जाना उचित है।

*(Signature)*  
पटवारी  
रावतभारा

*(Signature)*  
9/6/2018

**रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार**

रिपोर्ट पटवारी द्वारा 2. अ. निरीक्षण की रिपोर्ट के  
आधार पर ग्राम कोटा 45 में स्टेट बैंक ऑफ़ वीकनेट  
एण्ड जयपुर के लिये भारतीय स्टेट बैंक रावतभारा किया  
जाना उचित है।

**तहसीलदार  
रावतभारा (चित्तौड़गढ़)**

पत्रा सं 954/18

**आदेश**

15-6-18 - दत्त रिपोर्ट तहसीलदार रावतभारा ग्राम कोटा की जमाबन्दी  
सन्वत् 2073-76 की शर्त संख्या 45 में स्टेट बैंक ऑफ़  
वीकनेट एण्ड जयपुर के लिये भारतीय स्टेट बैंक  
रावतभारा दर्ज किया जावे। आदेश 136 LR Act के तहत  
दिए जाते हैं।

*(Signature)*  
**उपखण्ड अधिकारी  
रावतभारा**